[2021] 8 एस. सी. आर 1140

नीरज गर्ग

वी.

सरिता रानी और ओआरएस। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 4555-4559 2021 का)

02 अगस्त, 2021

[आर. एफ. नरीमन और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

टिप्पणियों का विवरणः वकील के खिलाफ की गई टिप्पणियां

निर्णय जिसमें वह एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे-न्यायिक औचित्य-आयोजित किए गएः उच्च न्यायालय के फैसलों में दर्ज की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत आधार पर की गई थीं

न्यायाधीश की धारणा-प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्ज करने से पहले, वकील को अपना स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था-वकील की इस तरह की निंदा, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना, ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों का निषेध होगा।

आपत्तिजनक टिप्पणियों में ऐसी स्थितियों में अपेक्षित संयम की कमी थी अदालत के फैसले के लिए टिप्पणियां भी अनावश्यक थीं भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियों को याद किया गया

वकील की प्रतिष्ठा या बार के सदस्य के रूप में उनके काम को नुकसान-टिप्पणियों ने तदनुसार प्राकृतिक न्याय को हटा दिया-के सिद्धांत

ऑडी अल्टरम पार्टेम।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. जबकि न्याय प्रशासन के क्षेत्र में यह मौलिक महत्व का है कि न्यायाधीशों को उनका निर्वहन करने की अनुमति दी जाए

स्वतंत्र रूप से और निडरता से और किसी के हस्तक्षेप के बिना कार्य करता है, न्यायाधीशों के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे संयम बरतें और वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणियों से बचें।

जिसका न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। [पैरा 15] [1148-ए-सी] 2. उच्च न्यायालय के फैसलों में दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचा जा सकता था क्योंकि वे विवादों को तय करने के लिए अनावश्यक थीं। इसके अलावा, वे न्यायाधीश की व्यक्तिगत धारणा पर आधारित प्रतीत होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि न्यायाधीश ने प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज करने से पहले अपीलार्थी को अपना स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया। द.

अपीलार्थी के खिलाफ न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई अपमानजनक टिप्पणियों को उस तरीके से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह से किया गया था। जिस अपीलार्थी के पेशेवर आचरण पर सवाल उठाए गए थे, उसे अपने आचरण की व्याख्या करने या अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

अदालत के फैसले के लिए टिप्पणियां भी अनावश्यक थीं। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी की प्रतिष्ठा या बार के सदस्य के रूप में उसके काम को भविष्य में किसी भी नुकसान से बचने के लिए अपमानजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए, निकाली गई टिप्पणियों को हटा दिया जाता है। [पारस 16,18] [1148-सी-जी]

यू. पी. राज्य बनाम मोहम्मद नईम एयर 1964 एससी 703: [1964] एससीआर 363; आलोक कुमार रॉय बनाम। डॉ. एस. एन. सरमा

[1968] 1 एससीआर 813; ए. एम. माथुर बनाम। प्रमोद कुमार

गुप्ता (1990) 2 एससीसी 533: [1990] 2 एससीआर 110; अबनी

कांता रे बनाम। उड़ीसा राज्य (1995) 4 पूरक एस. सी. सी. 169:

[1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 333; साम्या सेट बनाम। शंभू

एससीआर 686; ए. एन. परेरा बनाम डी. एल. एच. परेरा और अन्य। (1982) एस. सी. सी. एस. एल. एस. सी. 20 पर भरोसा किया। —

मामला कानून संदर्भ

[1964] एससीआर 363

उस पर भरोसा करें

पैरा

9

[1968] 1 एससीआर 813

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

[1990] 2 एससीआर 110

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

[1995] 4 पूरक। एससीआर 333

उस पर भरोसा करें

पैरा

12

[2005] 2 पूरक। एससीआर 686

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

(1982) एससीसी एसएल एससी 20

उस पर भरोसा करें

पैरा

14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4555

4559 2021 से।

14.11.2017,22.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से,

12.03.2020 और 2017 की रिट याचिका (एम/एस) No.2216 और 2017 की रिट याचिका (एम/एस) No.2208,2019 की दूसरी अपील संख्या 190,2019 की दूसरी अपील No.182 और 2019 की रिट याचिका (एम/एस) No.519 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की <आई. डी. 4।

मुकुल रोहतगी, कृष्णन वेणुगोपाल, अमर दवे (एसी), वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव अग्रवाल, राहुल प्रताप, शिवेंद्र सिंह, अधिवक्ता। प्रकट होने के लिए

पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. छुट्टी दे दी गई। अपीलार्थी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक वकालत करने वाला वकील है, जिसके सदस्य के रूप में लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल है।

बार। वर्तमान अपील चार मामलों का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने तक सीमित है जिसमें अपीलार्थी एक प्रतिद्वंद्वी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था। निम्नलिखित उच्च न्यायालय के आदेश और कार्यवाहियाँ हैं जिनसे हम इस मामले में चिंतित हैं:

" डब्ल्यू. पी. 2017 का (एम/एस) No.2216 और डब्ल्यू. पी. 2017 का (एम/एस) No.2208 जिसका शीर्षक वीरा वली मंगा बनाम है। सरिता रानी, एस. ए. नं. 190/2019 शीर्षक

लैंडौर सामुदायिक अस्पताल बनाम संदीप बिश्नोई। एस. ए. नं.

182 2019 का शीर्षक विनोद कुमार बनाम मंदिर लक्ष्मी, डब्ल्यू. पी. (एम/एस)

2019 का सं. 519 जिसका शीर्षक पारुल प्रकाश बनाम है। अनिल प्रकाश "।

2. इस न्यायालय ने 02.07.2021 पर मामले में वापसी योग्य नोटिस जारी किया और श्री अमर दवे को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया। श्री डेव उपस्थित होते हैं और तदनुसार प्रस्तुतियाँ करते हैं। मामले में कार्यालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलार्थी के वकील ने दिनांक 1 का एक पत्र प्रसारित किया है जिसमें कहा गया है कि याचिका केवल संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए दायर की गई है और अपीलार्थी किसी भी श्रेणीबद्ध उत्तरदाता के खिलाफ कोई राहत नहीं मांग रहा है और इस तरह उन्हें प्रोफार्मा उत्तरदाता के रूप में माना जाएगा।

3. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकल रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी नियमित रूप से इस मामले में अभ्यास कर रहा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय काफी बड़े अभ्यास के साथ। वकील तब प्रस्तुत करता है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ/टिप्पणियां

प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्ज करने से पहले, अपीलार्थी को वकील को नोटिस दिए बिना या उसे कोई सुनवाई प्रदान किए बिना दर्ज किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वे रिकॉर्डिंग संबंधित मामलों में

न्यायालय के फैसले के लिए न तो आवश्यक हैं और न ही आवश्यक हैं। श्री रोहतगी के अनुसार, इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां न केवल अपीलार्थी की पेशेवर प्रतिष्ठा को कमजोर करेंगी, बल्कि एक वकील के रूप में उनकी स्थिति और व्यवहार को भी प्रभावित करेंगी।

नीरज गर्ग बनाम। सरिता रानी और ओआरएस। ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

4. विद्वान न्यायमित्र, श्री अमर दवे, साथ में

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है

14.11.2017 , डब्ल्यू. पी. में 2017 का (एम/एस) No.2216 और डब्ल्यू. पी. (एम/एस)

208 2017 का, जहाँ अपीलार्थी एक के लिए उपस्थित हो रहा था

मामले में स्टिंग पक्षकार।

***

****

16. मैं अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करता हूं और हिचकिचाहट के साथ खुद से दूर रहता हूं।

दस्तावेज़ के केवल एक हिस्से का उत्पादन करना और उसी पर निर्भरता रखना भौतिक तथ्य को दबाकर अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए।

17. याचिकाकर्ता का वकील एक मौसमी वकील है जिसका वह ऋणी है।

संस्थान और बंधुत्व के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी थी पवित्र संस्था के लिए जानबूझकर गलत उदाहरण बनाया।

*** 99

***

5. इसी तरह, दूसरे मामले में, अर्थात, एस. ए. सं. 190/2019 विद्वान

ई ने 22.11.2019 पर निम्नलिखित टिप्पणियां दर्ज कीं:

***

*****

***

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील को भी संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था कुछ समय के लिए, इस न्यायालय का विचार है कि

वादी/अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क था एक तरह से, जैसे कि वह जानबूझकर एक पहाड़ बनाने का प्रयास कर रहा था

एक तिल का, जिसे यह न्यायालय फिर से चिह्नित करने में संकोच नहीं करेगा जो एक था उन अन्य वादियों के लिए समय की क्रूर हत्या, जिनके मामले

इस न्यायालय के समक्ष उक्त तिथि पर विचाराधीन थे। यह. आगे यह प्रतिबिंबित किया कि जैसे कि यह मामले के लिए एक तर्क नहीं था लेकिन

बल्कि आगंतुकों की गैलरी के लिए।

****

***

*

6. 2019 के तीसरे निर्णय, अर्थात एस. ए. 182 दिनांक 12.03.2020 में,

वकील के अस्वीकार्य आचरण पर ध्यान दिया गयाः

66 ***

***

*

वर्तमान के प्रवेश स्तर पर एक तर्क से बचने के लिए

दूसरी अपील, इस न्यायालय के समक्ष, [2021] 8 एस. सी. आर. के विद्वान वकील ने की।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि एक पूर्व कार्यवाही में जो आयोजित की गई थी

इस न्यायालय के समक्ष 2009 की रिट याचिका (एम/एस) संख्या 604 के माध्यम से,

श्री विनोद गोयल बनाम। श्री सुशी/चंद्र सब्बरवाल और दूसरा, तब से मैं प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से एक वकील के रूप में पेश हुआ था।

यहाँ, तर्क के बाद के चरण में एक प्रयास किया गया था,

इसके समक्ष योग्यता के आधार पर दूसरी अपील को संबोधित करने से बचें। अदालत।

***

*** "

***

***

7. चौथे मामले में, डब्ल्यू. पी. (एम/एस) 2019 का 519, न्यायालय ने

. 2021 , निम्नलिखित में वकील के खिलाफ अपनी नाराजगी का उल्लेख किया

एरः

66 ****

***

***

***

2. हालाँकि इस न्यायालय को यह टिप्पणी करने से बचना चाहिए था,

लेकिन जानबूझकर और जानबूझकर, कार्यप्रणाली का स्वामित्व, जो

आम तौर पर अपनाया जाता है, जो अब एक नियमित विशेषता बन गई है, लगभग अधिकांश मामलों में, जो विद्वान वकील द्वारा दायर किए जाते हैं

याचिकाकर्ता के लिए, यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने में बाधा है कि

अवलोकन, जो हमेशा पाए गए हैं, के बाद किया जाना है

विद्वान वकील, मूल रूप से न्यायालय को गुमराह करने का इरादा रखता है

रिट याचिका की सुनवाई के समय न्यायालय के लिए कठिनाई स्वयं प्रवेश स्तर पर, स्वयं, अनावश्यक दस्तावेजों को डाल कर,

जो उद्धरण की प्रति सहित प्रासंगिक भी नहीं हैं /

निर्णय, जिन पर वह भरोसा करना चाहता है, के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में

लेखन याचिका, लेखन याचिका के अभिलेख बनाना, में चल रहा है कई खंड, और वह भी अनुच्छेद के तहत एक रिट अधिकार क्षेत्र में

227 भारत के संविधान का, जो समवर्ती से उत्पन्न हो रहा है

निर्णय।

3. यह एक स्पष्ट और सुसंगत उपकरण और एक रणनीति रही है।

जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अपनाया गया है,

रिट याचिका में भारी मात्रा में अभिलेख रखकर, जिसमें शामिल हैं -

पूर्ववर्ती/निर्णयों की प्रतियां, जिन पर निर्भरता रखी गई है

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा रखा गया, जो तुरंत

वकील अपने मामले के समर्थन में, के खिलाफ पर भरोसा करने का तर्क देता है तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष, जो दोनों द्वारा दर्ज किया गया है

न्यायालय, नीचे और वह भी एक संक्षिप्त कार्यवाही में, जो नीरज गर्ग बनाम थे।

सरिता रानी और ओआरएस। ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

1972 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 21 (1) (ए) के तहत आयोजित। हालांकि इसके लिए

अनुमान लगाया, कि अधिकांश निर्णय भी, जिन पर, निर्भरता है बनाए गए हैं, विचार के उद्देश्यों के लिए भी प्रासंगिक नहीं हैं

मामला, और यहां तक कि वे तथ्यों के तहत लागू नहीं हो सकते हैं

और वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ।

4. अपनाए गए इस रवैये को पेशेवर होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रिट के प्रवेश के लिए सुनवाई के चरण में, की कमी के कारण समय, स्वीकार करने के लिए बाधा होगी, यहां तक कि रिट याचिकाएं, जो

समवर्ती निर्णयों से उत्पन्न होते हैं, एक संक्षिप्त किराया नियंत्रण में

कार्यवाही, जहाँ अंतरिम आदेश का अनुदान अपरिहार्य हो जाएगा

इसकी विचाराधीनता के दौरान, वादी पर कर लगाने के अलावा, कृत्रिम रूप से बढ़े हुए खर्चों को भी पूरा करें, और यह रणनीति है

एक अलग उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक नियमित विशेषता है, जो अधिकांश में एक दिनचर्या के रूप में वकील द्वारा अपनाया गया था

मामले, जो उनके कक्ष से स्थापित किए जा रहे हैं। यह

कार्यप्रणाली को जानबूझकर एक पूर्व सूचना के साथ अपनाया जा रहा है, कि

यदि निर्णय को किसी उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो वह

उसके तर्क को संरक्षित करें कि निर्णय उसके द्वारा भरोसा किया गया है, और जिनका न्यायालय के समक्ष अभिलेख था, उन पर विचार नहीं किया गया था

न्यायालय, और इस प्रकार निर्णय गैर का परिणाम है

उच्च न्यायालय द्वारा मन का अनुप्रयोग। 52. इस न्यायालय ने निर्णय को संबोधित करने से पहले अपनी योग्यता पर भरोसा किया,

इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 2,3 और 4 में एक तैयार टिप्पणी की थी,

याचिकाकर्ता के लिए वकील की कार्यप्रणाली अप्रासंगिक निर्णयों पर निर्भरता, जिनका कोई महत्व नहीं था

या इसकी प्रयोज्यता, वर्तमान के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत

मामला, और इस न्यायालय ने पहले ही सचेत रूप से कहा है कि

फैसले का संदर्भ देने के पीछे का इरादा गुमराह करना था

न्यायालय और क्रम में कार्यवाही को बढ़ाने में समय लेने के लिए

समवर्ती की बर्खास्तगी के प्रभाव को दूर करने के लिए, लिखें

अभिलेखों पर भारी मात्रा में निर्णय देकर सीमित याचिकाएं, और इसके अंशों को उद्धृत करके उनका संदर्भ देना।

***

*** 99

***

8. अपीलार्थी का तर्क है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ

वकील के आचरण के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश थे

विचाराधीन मामलों के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया।

किसी

भी [2021] 8 एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. इस तर्क पर जोर देने के लिए कि वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां अपरिवर्तित हैं, और आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करती हैं, विद्वान वरिष्ठ वकील ने यू. पी. बनाम राज्य का हवाला दिया है। मोहम्मद नईम 'जहाँ न्यायमूर्ति एस. के. दास ने किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के निष्कासन के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नलिखित परीक्षणों को लागू करने के लिए निर्धारित किया जिसका आचरण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आता है। वे।

परीक्षण इस प्रकार हैं:

(क) क्या वह पक्ष जिसका आचरण विचाराधीन है, अदालत के समक्ष है या उसे खुद को समझाने या बचाव करने का अवसर है;

(ख) क्या उस आचरण के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य है।

टिप्पणियों को उचित ठहराना; और

(ग) क्या यह मामले के निर्णय के लिए आवश्यक है,

उसका अभिन्न अंग, उस आचरण पर ध्यान केंद्रित करना।

10. आलोक कुमार रॉय बनाम। डॉ. एस. एन. सरमा 2, पाँच न्यायाधीशों की पीठ के लिए न्यायमूर्ति C.K.Wanchoo द्वारा लिखी गई राय में, इस न्यायालय ने

इस बात पर जोर दिया कि न्यायोचित आलोचना के मामलों में भी, नियोजित भाषा अत्यधिक संयम की होनी चाहिए। अस्वीकृत करने के लिए कारपिंग भाषा का उपयोग

वकील का आचरण संयम, संयम या संयम का कार्य नहीं होगा। 1 1 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 703 2 (1968) 1 एस. सी. आर. 813 नीरज गर्ग बनाम।

सरिता रानी और ओआरएस। ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

11. न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेट्टी द्वारा दिए गए ए. एम. माथुर बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता मामले में इस न्यायालय के फैसले में कड़वाहट से बचने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। न्यायालय ने कहा कि,

" 13 ..... संयम का कर्तव्य, कार्य की यह विनम्रता हमारे न्यायाधीशों का निरंतर विषय होना चाहिए। निर्णय लेने में यह गुण न्यायाधीशों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। इस संबंध में न्यायिक संयम को बेहतर न्यायिक सम्मान कहा जा सकता है, जो न्यायपालिका द्वारा सम्मान है।

12. न्यायिक औचित्य के स्थापित मानदंडों के अनुसार न्यायिक आदेशों में अप्रिय टिप्पणियों से बचने का महत्व भी संक्षिप्त रूप से दिया गया है।

अबनी कांत राय बनाम में उल्लेख किया गया है। उड़ीसा राज्य 1 न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा द्वारा निम्नलिखित शब्दों में,

" असंयमित भाषा का उपयोग या किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, जब तक कि यह निर्णय लेने की आवश्यकता न हो

मामला न्यायिक व्यवहार के साथ असंगत है। न्यायिक आदेशों में लिखित शब्द स्थायी रिकॉर्ड के लिए होते हैं जो इसे और भी अधिक बनाते हैं। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में आत्मसंयम का अभ्यास करना आवश्यक है।

लिखित आदेश देते समय "।

13. ऊपर दिए गए सिद्धांतों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बाद के कई निर्णयों में लागू किया गया है।

साम्या सेट बनाम शंभू सरकार और अन्य मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ शामिल है। इस मामले में न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर ने न्यायालय के लिए लिखते हुए राय दी कि दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियां न तो निर्णय लेने के लिए आवश्यक थीं

न्यायालय के समक्ष उठाया गया विवाद और न ही निर्णय का एक अभिन्न हिस्सा, और तदनुसार उन टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया।

14. मोहम्मद नईम (सुप्रा) में चार न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एस. के. दास द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव

1964 से कई निर्णयों में प्रतिकूल टिप्पणियों को मंजूरी दी गई है। यह श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए. एन. परेरा बनाम में भी उद्धृत किया गया था। डी. एल. एच. परेरा और ओआरएस "। जहाँ अब्दुल कादिर जे. ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को मंजूरी दी और निष्कर्ष निकाला कि 3 3 (1990) 2 एस. सी. सी. 533 4 1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 169 5 (2005) 6 एस. सी. सी. 767

उस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायाधीश की टिप्पणियां उन परीक्षणों में से प्रत्येक के तहत पूरी तरह से अनुचित थीं।

15. यद्यपि न्याय प्रशासन के क्षेत्र में यह मौलिक महत्व का है कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से और निडरता से और किसी के हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाए, न्यायाधीशों के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे संयम बरतें और वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणियों से बचें जिनका न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय पर कोई प्रभाव न पड़े।

16. उच्च न्यायालय के फैसलों में दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणियों को देखने के बाद, हम महसूस करते हैं कि उनसे बचा जा सकता था क्योंकि वे

उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों की अवहेलना होगी। ऐसी स्थितियों में अपेक्षित संयम और संयम की अपेक्षित मात्रा भी आपत्तिजनक टिप्पणियों में गायब पाई जाती है। 17. अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज की गई टिप्पणियों का सार न केवल उसे अपने पेशेवर सहयोगियों के बीच नीचा दिखाएगा, बल्कि यह भी हो सकता है कि

उनके पेशेवर करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि अदालत के फैसलों में टिप्पणियों का खुलासा नहीं किया जाता है, तो यह एक क्रॉस होगा जिसे अपीलार्थी को अपने पूरे जीवन में सहन करना होगा। हमारी राय में, उसे इस तरह से पीड़ित होने देना पूर्वाग्रहपूर्ण और अन्यायपूर्ण होगा।

18. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वत न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज की गई अपमानजनक टिप्पणियां जिस तरह से किया गया था उसे दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी, जिसके पेशेवर आचरण पर सवाल उठाए गए थे, को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

अपने आचरण की व्याख्या करने या अपना बचाव करने का अवसर। अदालत के फैसले के लिए टिप्पणियां भी अनावश्यक थीं। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी की प्रतिष्ठा या बार के सदस्य के रूप में उसके काम को भविष्य में किसी भी नुकसान से बचने के लिए अपमानजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए हम इस निर्णय के पैराग्राफ 4,5,6 और 7 में निकाली गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश देते हैं। अपीलों का तदनुसार इस आदेश के साथ निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों

का निपटारा किया गया।